न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

सिलिंग अपील प्रकरण सं. : 01/2016 (2016/00157)

अपीलार्थी

उच्छब कंवर पत्नी स्व0 उम्मेदसिंह, जाति राजपूत, निवासी बिनावास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 23, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 विरूद्व निर्णय प्राधिकृत अधिकारी (लेण्ड सिंलिग) जोधपुर जो वाद संख्या 1265/75 बमुकदमा सरकार विरूद्व उम्मेदसिंह में दिनांक 29.11.1975 को पारित किया गया।

उपस्थिति

1. अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार (अपीलार्थी)।

:- आदेश :- दिनांक :- 06.04.2023

संक्षिप्त में अपील अपीलार्थी के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम बिनावास, तहसील बिलाड़ा के खेत खसरा नं0 122 रकबा 20.06 बीघा, खसरा नं0 374 रकबा 24.12 बीघा, खसरा नं0 128 रकबा 42.03 बीघा, खसरा नं0 127 रकबा 0.1 बीघा व खसरा नं0 116 रकबा 76.15 बीघा कुल रकबा 191.18 बीघा भूमि उम्मेदसिंह पुत्र स्व0 रामसिंह की खातेदारी भूमि थी जो सिंलिग सीमा से अधिक होने से प्राधिकृत अधिकारी (लैण्ड सिंलिग) जोधपुर उम्मेदसिंह के नाम राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 12 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया, तत्पश्चात् स्व0 उम्मेदसिंह की पत्नी उच्छब कंवर (अपीलार्थी) को नोटिस जारी कर दिनांक 29.11.1975 को खसरा नं0 128 रकबा 42.03 बीघा एवं खसरा नं0 374 में से 14.18 बीघा कुल 56.18 बीघा भूमि सिलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण करने का अन्तिम विवरण जारी करने का आदेश दिया गया। पूर्व में उक्त आदेश दिनांक 29.11.1975 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 23, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के तहत अपील (71/1976) पेश होने पर दिनांक 26.03.1976 को निरस्त की जा चुकी थी। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.03.1976 के विरूद्ध अपीलार्थीपक्ष द्वारा माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष अपील/सिलिंग/1760/2015/जोधपुर मु0 उच्छब कंवर बनाम राजस्थान सरकार पेश हुई, जो दिनांक 28.07.2016 को स्वीकार करते हुए पुनः सुनवाई के लिए इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय की अनुपालना में अपील पुनः

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:01:59 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज रजिस्टर (01/2016) कर सुनवाई प्रारम्भ की गई। अपीलार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार उपस्थित हुए। दिनांक 05.04.2023 को अपीलार्थीपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। आदेश लिखने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली भी तलब की गई। अपीलार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि माननीय राजस्व मण्डल ने निम्न बिन्दुओं पर विवेचन करते हुए पुनः सुनवाई करने का निर्णय करने हेतु निर्देशित किया गया।

1. प्रकरण में लिप्त वादग्रस्त भूमि रामसिंह पुत्र अर्जुनसिंह के खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की भूमि धारित होने एवं रामसिंह की मृत्यु होने पर उक्त भूमि उनके पुत्र उम्मेदसिंह व उनकी पत्नी रूपकंवर पर धारित हुई थी, परन्तु विरासत का नामान्तरकरण केवल उम्मेदसिंह के पक्ष में स्वीकृत होने से सम्पूर्ण भूमि उम्मेदसिंह की मानकर प्राधिकारी ने सिलिंग प्रकरण का गलत रूप से निस्तारण किया गया, जबकि विवादित भूमि के सहखातेदार वर्ष 1973 में उम्मेदसिंह एवं उनकी माता रूपकंवर थी। रूपकंवर एवं एसेसी उम्मेदसिंह को पृथक्–पृथक् इकाई मानकार सिलिंग सीमा का निर्धारण करना चाहिए। मूल एसेसी ने अपनी माता रूपकंवर के पक्ष में दिनांक 30.11.1972 को बंटवारा लिखकर 76.18 बीघा भूमि दे दी थी जो नये सिलिंग कानून की धारा 6 के तहत माने जाने योग्य थी। बंटवारा को नहीं माने जाने का कोई कारण अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित नहीं किया है।
2. रूपकंवर के पक्ष में किये गये बंटवारे की आराजी 76.18 बीघा भूमि सिलिंग में अधिग्रहण कर ली साथ ही शेष रही अलग भूमि में से 56.18 बीघा भूमि अधिग्रहण कर कुल 133.06 बीघा भूमि बिना किसी आधार के अधिग्रहण की गई है जबकि प्राधिकृत अधिकारी ने केवल 56.18 बीघा भूमि अधिग्रहण करने के आदेश पारित किये थे। प्राधिकृत अधिकारी जोधपुर के आदेश के विपरीत जाकर जो भूमि अधिक अधिग्रहण की गई है, वो विधि विरूद्ध है।

बहस में आगे बतलाया कि विवादित भूमि स्व0 रामसिंह पुत्र अर्जुनसिंह की खातेदारी व कब्जा काश्त की थी। उसके पश्चात् स्व0 रामसिंह के विरासत का नामान्तरकरण मात्र उनके पुत्र उम्मेदसिंह (अपीलार्थी के पति) के नाम से स्वीकृत किया गया, प्रस्तुत दस्तावेजात् से स्पष्ट होता है। नये सिलिंग कानून लागू होने से पूर्व स्व0 रामसिंह की विधवा रूपकंवर जीवित थी तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार हिन्दू पुरूष मृतक के प्रथम श्रेणी वारिसान् में विधवा पत्नी भी सम्मिलित है। अतः मात्र पुत्र के नाम से ही विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत होने से किसी भी विधिक उत्तराधिकारी का अधिकार समाप्त नहीं होते है, नामान्तरकरण कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही है इससे किसी के अधिकार उत्पन्न नहीं होते है, न अधिकार समाप्त होते है। अतः राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 लागू हुआ, उस दौरान स्व0 रामसिंह की कृषि भूमि में उसके पुत्र उम्मेदसिंह के साथ–साथ उनकी विधवा रूपकंवर का भी बराबर हिस्सा निहित था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में रूपकंवर का हिस्सा व अधिकार नहीं मानकर विधिक त्रुटि की है जो निरस्त योग्य है। अपनी बहस में यह भी कहा कि उम्मेदसिंह ने अपने जीवनकाल में अपनी माता का विधिक अधिकार मानते हुए विवादित भूमि [illegible] 76.18 बीघा [illegible] बंटवारा दिनांक 31.03.1972 को किया गया तथा नामान्तरकरण संख्या [illegible] रूपकंवर के पक्ष में स्वीकार किया गया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:01:59 IST
Reason: SelfAttested

वो नये सिलिंग कानून की धारा 6 के अनुसार बोनोफाइड बंटवारा होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न मानकर कानूनी भूल की है। बहस में अन्त में अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त करने की इस्तदुआ की। बहस के समर्थन में आर. आर. डी. (अक्टु) 2000 पेज नं0 428 एवं आर. आर. टी. 2004 पेज नं0 1327 पर दिये गये न्याय निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का भी अध्ययन किया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.07.2016 में दो बिन्दुओं पर विवेचन करते हुए इस पर सुनवाई करने के निर्देश दिये गये।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से पाया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में वाके ग्राम बिनावास तहसील बिलाड़ा के खेत खसरा नं0 122 रकबा 20.06 बीघा, खसरा नं0 374 रकबा 24.12 बीघा, खसरा नं0 128 रकबा 42.03 बीघा, खसरा नं0 127 रकबा 0.1 बीघा व खसरा नं0 116 रकबा 76.15 बीघा कुल रकबा 191.18 बीघा वादग्रस्त भूमि पूर्व में रामसिंह पुत्र अर्जुनसिंह की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की रही तथा अपीलान्ट के ससुर उक्त रामसिंह का स्वर्गवास वर्ष 1965 में हो चुका था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार हिन्दू पुरूष मृतक के प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी में विधवा पत्नी भी सम्मिलित है। अपीलार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत आर. आर. डी. (अक्टु) 2000 पेज नं0 428 पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस0 बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1416/1976 निर्णय दिनांक 13.09.2020 में अभिनिर्धारित किया गया है कि हिन्दू उत्तराधिकार के अनुसार भूमि धारक की मृत्यु के पश्चात विचाराधीन भूमि उसकी विधवा एवं पुत्र (दोनों उत्तराधिकारी) द्वारा समान शेयरों में सह मालिक के रूप में उस समय धारण किया जा रहा था। इसी प्रकार प्रस्तुत आर. आर. टी. 2004 पेज 1327 पर डी0 बी0 सिविल स्पेशियल अपील नं0 245/2004 राज0 राज्य बनाम राजेन्द्रसिंह व अन्य निर्णय दिनांक 24.03.2004 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्डपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 धारा 15 (2) – सीलिंग मामले को पुनः खोलना–विलम्ब और प्रमाद के आधार पर रिट याचिका खारिज की– विधवा मां पुत्र पर निर्भर नहीं थी तथा विधवा मां स्वतंत्र रूप से भूमि धारण किये हुए थी– 01.04.1966 के बाद विधवा मां की मृत्यु पर उसका हिस्सा सही रूप से उसके पुत्र की जोतों के साथ शामिल नहीं किया–निर्णीत, आदेश पारित करने में राजस्व मण्डल ने कोई अवैधता नहीं की है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में भी अपीलार्थी के ससुर स्व0 रामसिंह की मृत्यु होने के पश्चात् उनके पुत्र उम्मेदसिंह एवं पत्नी रूपकंवर (दोनों उत्तराधिकारी) द्वारा समान शेयरों में सहमालिक के रूप में कब्जा काश्त धारित किए हुए माना जाना चाहिए था। प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व भूमि धारक स्व0 रामसिंह के पुत्र उम्मेदसिंह (अपीलार्थी के पति) के नाम से विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत होने से किसी भी विधिक उत्तराधिकारी का अधिकार समाप्त नहीं हो सकता है। नामान्तरकरण कार्यवाही मात्र एक सरसरी कार्यवाही है इससे किसी के अधिकार उत्पन्न नहीं होते है, न अधिकार समाप्त होते है अर्थात् स्व0 रामसिंह की मृत्यु होने के पश्चात् उनके पुत्र उम्मेदसिंह (एसेसी) एवं पत्नी रूपकंवर (दो) उत्तराधिकारी) द्वारा समान शेयरों

Signature Not Verified
Digitally Signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:01:59 IST
Reason: SelfAttested

में सहमालिक के रूप में कब्जा काश्त धारित किए हुए माना जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त न्याय निर्णय ग्राह्य योग्य है।

अपीलार्थीया के पति उम्मेदसिंह ने अपने जीवनकाल में अपनी माता रूपकंवर को विवादित भूमि में से 76.15 बीघा भूमि पारिवारिक सैटलमेन्ट बंटवारा के रूप में दिनांक 31.03.1972 को हस्तान्तरण किया गया, जिस पर तहसीलदार के हस्ताक्षर भी किये हुए। राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 6 में स्पष्ट किया गया कि किसी भी कानून में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, 26 सितम्बर 1970 को या उसके बाद, डिक्री, उपहार, विनिमय, असाईनमेन्ट, सम्पर्ण, वसीयत, ट्रस्ट के निर्माण के माध्यम से या अन्यथा 26.09.1970 को या उसके बाद की गई भूमि का हर हस्तान्तरण, एक वास्तविक हस्तान्तरण जो दिनांक 01.01.1973 से पहले किए, को छोड़कर इस अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने के लिए किया गया माना जायेगा और किसी व्यक्ति के लिए लागू अधिकतम सीमा का निर्धारण करने में इसे मान्यता नहीं दी जायेगी या इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि में एसेसी उम्मेदसिंह (पुत्र) एवं रूपकंवर (विधवा मां) का समान शेयरों में सह–मालिक के रूप में धारित होने से फैमिली सैटलमेन्ट से बंटवाड़ा में अपनी मां को भूमि दी गई वो बोनोफाइड हस्तान्तरण मानने योग्य है जिसको मान्यता दिया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। विधवा मां एसेसी उम्मेदसिंह पर निर्भर रही हो, सिद्ध नहीं होता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.1976 को संशोधन आदेश दिये गये। उक्त आदेश के अनुसार ग्राम बिनावास के खसरा नं0 122 रकबा 20.06 बीघा, खसरा नं0 374 रकबा 32.12 बीघा एवं खसरा नं0 124 रकबा 4.00 बीघा कुल रकबा 56.18 बीघा अधिग्रहण करने के आदेश दिये गये तथा उक्त आदेशानुसार तहसील बिलाड़ा को तहरीर जारी हुई जो तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 148 दिनांक 23.09.1977 के जरिये सरकार के पक्ष में स्वीकृत किया गया। नामान्तरकरण संख्या 92 दिनांक 30.11.1972 के द्वारा रूपकंवर पत्नी स्व0 रामसिंह के नाम में खसरा नं0 116 रकबा 76.15 बीघा का पारस्परिक बंटवाड़ा के कारण स्वीकृत किया गया, तत्पश्चात् उक्त भूमि का वसीयतनामा रूपकंवर के द्वारा सुगनकंवर पत्नी रिड़मलसिंह, जितेन्द्रसिंह, नरेन्द्रसिंह, महेन्द्रसिंह पुत्रान् रिड़मलसिंह 1/2, केशरकंवर पत्नी विजयसिंह, भंवरसिंह, इन्द्रसिंह, मंगलसिंह, उम्मेदसिंह, गोविन्दसिंह पुत्रान् विजयसिंह 1/2 हिस्से के खातेदार के रूप में जरिये नामान्तरकरण संख्या 361 दिनांक 04.05.1988 स्वीकृत किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के अनुसार उपरोक्तानुसार खातेदारी दर्ज है अतः अपीलार्थीपक्ष का कथन गलत है कि रूपकंवर के पक्ष में किये गये बंटवारे की आराजी 76.15 बीघा भूमि भी सिलिंग में अधिग्रहण कर ली गई हो।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थीया के पति एसेसी उम्मेदसिंह द्वारा अपनी विधवा मां को फैमिली सैटलमेन्ट बंटवारा के रूप में 76.15 बीघा भूमि हस्तान्तरण किये जाने के फलस्वरूप एसेसी उम्मेदसिंह दिनांक 01.01.1973 से पूर्व कुल 115.03 बीघा भूमि धारण करता था, जबकि नये सिलिंग कानून के अनुसार तहसील बिलाड़ा के क्षेत्राधिकार में एक व्यक्ति कुल [illegible] बीघा भूमि धारण कर सकता है अतः अपीलार्थीया के पति उम्मेदसिंह के हिस्से में [illegible] 115.03 बीघा भूमि ही होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:01:59 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थीया के पति उम्मेदसिंह द्वारा धारण भूमि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत प्रभावित नहीं होने से अपील स्वीकार योग्य है जो स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.75 एवं संशोधन आदेश दिनांक 20.05.1976 को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार बिलाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 06.04.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:01:59 IST
Reason: SelfAttested